

नौवहन मंत्रालय

मांग संख्या 83

नौवहन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	110.48	224.10	334.58	120.27	354.67	474.94	89.75	364.35	454.10	
पूंजी	307.91	13.50	321.41	89.73	20.33	110.06	325.19	-12.74	312.45	
जोड़	418.39	237.60	655.99	210.00	375.00	585.00	414.94	351.61	766.55	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं पत्तन और दीपस्तंभ पत्तन	3451	...	7.87	7.87	...	8.38	8.38	...	8.87	8.87
2. तलकषण और सर्वेक्षण संस्थान	3051	...	103.22	103.22	...	202.83	202.83	...	264.66	264.66
3. लघु पत्तनों का विकास	5051	30.50	...	30.50	30.48	...	30.48	31.00	...	31.00
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	31.50	...	31.50	31.48	...	31.48	32.00	...	32.00
4. अन्य व्यय	3051	4.88	10.21	15.09	4.67	10.21	14.88	5.00	11.92	16.92
जोड़ - पत्तन दीपस्तंभ		36.38	113.43	149.81	36.15	213.04	249.19	37.00	276.58	313.58
5. निर्देशन और प्रशासन	3051	...	8.22	8.22	...	7.58	7.58	...	8.19	8.19
6. दीपस्तंभ और दीप पोत										
6.01 सकल कार्यचालन व्यय	3051	...	71.78	71.78	...	74.42	74.42	...	73.81	73.81
6.02 घटाइए प्राप्ति	1051	...	-80.00	-80.00	...	-82.00	-82.00	...	-82.00	-82.00
6.03 निवल		...	-8.22	-8.22	...	-7.58	-7.58	...	-8.19	-8.19
7. दीपस्तंभ और नौचालन संबंधी अन्य सहायक साधनों का निर्माण और विकास	5051	20.00	-20.00	...	16.39	-16.39	...	24.50	-24.50	...
जोड़-दीपस्तंभ		20.00	-20.00	...	16.39	-16.39	...	24.50	-24.50	...
जोड़-पत्तन और दीपस्तंभ नौवहन		56.38	93.43	149.81	52.54	196.65	249.19	61.50	252.08	313.58
8. महानिदेशक नौवहन	3052	...	29.27	29.27	...	32.80	32.80	...	32.00	32.00
9. पोत अधिग्रहण के लिए उधारों पर ब्याज विभेदक	3052	...	20.92	20.92	...	31.34	31.34	...	2.82	2.82
10. भारतीय नौवहन निगम को आर्थिक सहायता	3052	...	25.88	25.88	...	20.05	20.05	...	5.00	5.00
11. अन्य व्यय										
11.01 व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण के नाविकों के लाभ के लिए प्रशिक्षण और कल्याण स्कीमें	5052	3.40	...	3.40	3.40	...	3.40	4.94	...	4.94
11.02 सर्वेक्षण पोतों की खरीद	5052	45.00	...	45.00	8.95	...	8.95	50.00	...	50.00
	जोड़	48.40	...	48.40	12.35	...	12.35	54.94	...	54.94
पोत निर्माण										
12. हुगली डाक और पत्तन इंजीनियर्स लि. को योजना भिन्न ऋण	6858	...	4.50	4.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50
13. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन										
13.01 हिन्दुस्तान शिपयार्ड	2852	15.00	...	15.00	34.00	...	34.00
13.02 हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	2852	5.00	...	5.00
13.03 सीआईडब्ल्यूटीसी	3056	5.00	...	5.00	27.00	...	27.00	7.07	...	7.07
	जोड़	25.00	...	25.00	61.00	...	61.00	7.07	...	7.07
14. अन्य आर्थिक सहायता										
14.01 कोचीन शिपयार्ड लि.	2852	...	11.00	11.00	...	35.91	35.91	...	25.00	25.00
14.02 एच एस एल	2852	...	2.58	2.58	...	2.58	2.58	...	1.96	1.96
14.03 गैर केन्द्रीय सरकारी शिपयार्ड और निजी क्षेत्र शिपयार्ड	2852	1.00	1.00
	जोड़	...	13.58	13.58	...	38.49	38.49	...	27.96	27.96
15. अन्य व्यय	2852	0.10	...	0.10	0.60	...	0.60	0.75	...	0.75
जोड़ नौवहन		73.50	94.15	167.65	73.95	128.18	202.13	62.76	73.28	136.04
16. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5075	175.00	...	175.00	1.00	...	1.00	151.00	...	151.00
17. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	4858	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	13.87	...	13.87
	6858	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	13.88	...	13.88
	7051	1.01	...	1.01	0.31	...	0.31	29.00	...	29.00
	जोड़	16.01	...	16.01	15.31	...	15.31	56.75	...	56.75

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
अंतर्देशीय जल परिवहन										
18. प्रशिक्षण और अनुसंधान	3056	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
19. जल परिवहन सेवाओं का विकास - भारतीय अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण को अनुदान	3056	28.50	10.00	38.50	30.00	7.92	37.92	29.43	7.92	37.35
20. सी आई डब्ल्यू टी सी को आयोजना-भिन्न ऋण	7056	...	29.00	29.00	...	31.22	31.22	...	6.26	6.26
21. अन्य कार्यक्रम	3056	7.00	0.65	7.65	1.00	0.65	1.65	3.00	0.70	3.70
	7601	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
	जोड़	10.00	0.65	10.65	4.00	0.65	4.65	5.00	0.70	5.70
जोड़ अंतर्देशीय जल परिवहन अन्य देशों के साथ परिवहन, तकनीकी और आर्थिक सहयोग		40.00	39.65	79.65	35.00	39.79	74.79	35.43	14.88	50.31
22. बंगला देश को सहायता	3605	...	2.50	2.50	...	2.00	2.00	...	2.50	2.50
23. सरकारी उपक्रमों में निवेश	5056	7.50	...	7.50	5.60	...	5.60	2.50	...	2.50
	7056	7.50	...	7.50	5.60	...	5.60	2.50	...	2.50
	जोड़	15.00	...	15.00	11.20	...	11.20	5.00	...	5.00
24. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम की परियोजना/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान	2552	42.50	...	42.50	21.00	...	21.00	42.50	...	42.50
कुल जोड़		418.39	237.60	655.99	210.00	375.00	585.00	414.94	351.61	766.55
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
पत्तन										
17.01 कोलकाता पत्तन न्यास	13051	...	24.92	24.92	...	10.32	10.32	...	60.30	60.30
17.02 कोचीन पत्तन न्यास	13051	15.30	15.30	1.00	17.88	18.88
17.03 पारादीप पत्तन	13051	1.00	58.00	59.00	0.30	41.00	41.30	27.00	26.40	53.40
17.04 तूतीकोरीन पत्तन	13051	...	76.10	76.10	...	63.38	63.38	...	17.54	17.54
17.05 जवाहर लाल नेहरू पत्तन	13051	0.01	149.35	149.36	0.01	74.43	74.44	1.00	142.02	143.02
17.06 नया मंगलौर पत्तन	13051	...	37.00	37.00	...	28.00	28.00	...	25.00	25.00
17.07 चेन्नई पत्तन न्यास	13051	...	95.99	95.99	...	104.45	104.45	...	36.69	36.69
17.08 मुम्बई पत्तन न्यास	13051	...	109.05	109.05	...	103.02	103.02	...	54.21	54.21
17.09 कांडला पत्तन न्यास	13051	...	94.78	94.78	...	63.38	63.38	...	66.71	66.71
17.10 मारमागोवा पत्तन	13051	...	30.86	30.86	...	37.37	37.37	...	87.14	87.14
17.11 विशाखापत्तनम पत्तन	13051	...	49.06	49.06	...	49.00	49.00	...	51.00	51.00
17.12 एन्नोर पत्तन	13051	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	150.00	150.00
जोड़ - पत्तन		1.01	726.11	727.12	0.31	590.65	590.96	29.00	734.89	763.89
17.13 भारतीय तलकषण निगम पोत निर्माण	13051	...	179.00	179.00	...	48.00	48.00	...	201.00	201.00
17.14 हिन्दुस्तान शिपयार्ड	12858	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	27.50	...	27.50
17.15 कोचीन शिपयार्ड	12858	...	58.00	58.00	...	34.00	34.00	...	82.00	82.00
17.16 हुगली डाक और पत्तन इंजीनियरिंग कं. लि.	12858	0.25	...	0.25
जोड़ - जहाज निर्माण नौवहन		15.00	58.00	73.00	15.00	34.00	49.00	27.75	82.00	109.75
17.17 भारतीय नौवहन निगम	13052	...	1332.25	1332.25	...	795.59	795.59	...	1102.13	1102.13
17.18 सी आई डब्ल्यू टी सी	13056	15.00	...	15.00	11.20	...	11.20	5.00	...	5.00
जोड़ - सरकारी उद्यमों में कुल निवेश		31.01	2295.36	2326.37	26.51	1468.24	1494.75	61.75	2120.02	2181.77
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. इंजीनियरी उद्योग	12858	40.10	58.00	98.10	76.60	34.00	110.60	35.57	82.00	117.57
2. पत्तन और दीपस्तंभ	13051	99.89	905.11	1005.00	73.85	638.65	712.50	133.00	935.89	1068.89
3. नौवहन	13052	230.01	1332.25	1562.26	19.81	795.59	815.40	216.00	1102.13	1318.13
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	55.00	...	55.00	46.20	...	46.20	40.43	...	40.43
जोड़		425.00	2295.36	2720.36	216.46	1468.24	1684.70	425.00	2120.02	2545.02

* शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांगों में उपलब्ध कराए गए निर्माण कार्य परिव्यय को मिलाकर।

मांग संख्या 98	13052
मांग संख्या 99	13052	6.61	...	6.61	6.46	...	6.46	10.06	...	10.06
जोड़		6.61	...	6.61	6.46	...	6.46	10.06	...	10.06

- यह प्रावधान नौवहन मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।
- इस व्यवस्था में कलकत्ता पत्तन न्यास को हुगली नदी और हल्दिया जलमार्ग के तलकषण और अनुरक्षण के लिए अदायगी और लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन का स्थापना संबंधी व्यय शामिल है।
- यह व्यवस्था अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों में अवतरण सुविधाओं और जेटियों के निर्माण, सर्वेक्षण के लिए उपस्कर की खरीद के लिए है।
- यह आयोजना व्यवस्था अनुसंधान और विकास संबंधी योजनाओं के व्यय के लिए है। यह आयोजना-भिन्न व्यवस्था अंडमान और लक्षद्वीप बन्दरगाह संबंधी निर्माण कार्यों आदि के स्थापना प्रभारों के लिए है।
- 5, 6 और 7. दीपस्तंभ और दीपपोत संगठन सरकार का एक वाणिज्यिक विभाग है, जो नौचालन संबंधी सहायक-साधनों की व्यवस्था करता है, जिनमें बोयास, डेका नेवीगेटर चेन, रेडियो बीकन आदि शामिल हैं। यह संगठन पोतों

सं.83/नौवहन मंत्रालय

के दिशानिर्देश के लिए दीपस्तम्भों का निर्माण और रख-रखाव भी करता है। यह आयोजना व्यवस्था दीप स्तंभों के निर्माण और विकास पर होने वाले पूंजी व्यय तथा अन्य नौचालन संबंधी सहायक-साधनों के लिए है और इसे भारतीय दीपस्तम्भ अधिनियम, 1927 के उपबंधों के अनुसार एकत्रित प्रकाश प्राप्ति से पूरा किया जाता है।

8. यह व्यवस्था नौवहन महानिदेशालय की स्थापना के लिए है, जो वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह वाणिज्यिक नौवहन कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए नियमन संबंधी कार्य करता है। यह निदेशालय नाविकों के कल्याण की देख-रेख के अलावा मर्चेन्ट नेवी के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

9. नौवहन कम्पनियों को विदेशों से पोत अधिग्रहण करने हेतु 8.5 प्रतिशत और देश में ही पोतों का निर्माण करने के लिए 7.75 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर पर ऋण दिए जाते हैं। ब्याज की सामान्य दर पर अर्जित ब्याज और ब्याज की रियायती दर पर अर्जन योग्य ब्याज के अन्तर की प्रतिपूर्ति तदनुसार भारतीय नौवहन निगम को कर दी जाती है। भारतीय नौवहन निगम ने भारतीय शिपयार्ड में जलयानों के निर्माण हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वाणिज्यिक ऋण लिए हैं। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले ब्याज और 9 प्रतिशत की रियायती दर पर लिए जाने वाले ब्याज के अन्तर की प्रतिपूर्ति भी भारतीय नौवहन निगम को की जाती है। इस व्यवस्था में पोतों का अधिग्रहण करने के लिए ऋणों पर ब्याज विभेदकों और भारतीय नौवहन निगम द्वारा लिए गए बैंक ऋणों पर ब्याज की अदायगी शामिल की गई है।

10. भारतीय नौवहन निगम मुख्य भूमि और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा मुख्य भूमि और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के बीच यात्री सेवाओं का संचालन करता है। आर्थिक सहायता की व्यवस्था इन नौवहन सेवाओं के संचालन पर होने वाली प्रचालन संबंधी हानियों को पूरा करने के लिए है।

11. यह व्यवस्था सर्वेक्षण जहाजों की खरीद और नाविकों के लाभ हेतु प्रशिक्षण और अन्य कल्याणकारी स्कीमों की सुविधाओं के लिए है।

12. यह व्यवस्था एच.डी.पी.ई. लि. को आयोजना-भिन्न अर्थोपाय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए है ताकि कंपनी अपने संसाधनों में अंतर को पूरा करने में सक्षम हो सके।

13. यह प्रावधान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियर्स लि. और सीआईडब्ल्यूटीसी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए सहायता हेतु किया गया है।

14. यह प्रावधान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गैर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शिपयार्ड्स और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड्स को आर्थिक सहायता के भुगतान हेतु किया गया है।

15. यह व्यवस्था पोतसंबंधी सहायक विकास कार्यों, राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र, पोत निर्माण अध्ययन करने के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं को सहायता अनुदान देने, पाल पोत उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी को आर्थिक सहायता देने के लिए है।

16. यह व्यवस्था कोलकाता पत्तन न्यास के नदी विनियामक निर्माण कार्यों के लिए है।

17. इस व्यवस्था में मुख्य पत्तन न्यासों, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियरी कम्पनी लिमिटेड के आयोजना व्यय के लिए बजट समर्थन शामिल है। पत्तन न्यासों को आयोजना-सहायता मुख्यतः पत्तनों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए है ताकि ये पत्तन वहां आने वाले पोतों की किस्म और वहां उनके द्वारा लादे/ढोए जाने वाले माल की मात्रा और किस्म के अनुरूप बन सके और पत्तनों पर वर्तमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन के लिए भी यह सहायता दी जाती है। वर्तमान सुविधाओं का नवीकरण/बदलने और उनमें वृद्धि करने पर उनका उपयोग करने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. और कोचीन शिपयार्ड लि., हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियरी कम्पनी लि. (एच.डी.पी.ई.) को ऋण सहायता दी जाती है।

18. यह व्यवस्था मुख्यतः करीमगंज टर्मिनल के विकास और अनुसंधान तथा विकास समेत तकनीकी अध्ययनों के लिए है।

19. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुसंधान और विनियमन तथा देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। प्राधिकरण को दी जा रही अनुदान सहायता का उद्देश्य नदी संरक्षण कार्य, टर्मिनल का निर्माण, राष्ट्रीय जलमार्ग के नौचालन संबंधी सहायक साधनों और भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रशासनिक स्वर्चों के संबंध में व्यय की पूर्ति करना है। प्राधिकरण को आयोजना-भिन्न अनुदान सहायता का उद्देश्य इसकी स्थापना लागत को पूरा करना है।

20. यह व्यवस्था केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड को उसके प्रचालनात्मक क्षति के भाग और सुन्दरवन में नदी संरक्षण कार्यों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु आयोजना-भिन्न ऋणों के लिए है।

21. यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु आदि राज्य सरकारों की केन्द्र प्रायोजित चालू स्कीमों के लिए की गई है, जिन्हें राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें उनके द्वारा ऋण ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन उद्यमियों को कम ब्याज दर पर दिए गए ऋणों के संबंध में ब्याज विभेदक के लिए वित्तीय संस्थाओं को भुगतान के लिए भी व्यवस्था शामिल है। इस व्यवस्था में केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को पश्चिमी स्लिपवे नवीकरण, पोतों के अधिग्रहण, पोतों की मरम्मत आदि से संबंधित उनकी आयोजना स्कीमों का वित्तपोषण करने के लिए बजटीय समर्थन भी शामिल है।

22. यह व्यवस्था बंगलादेश सरकार के साथ पारगमन और व्यापार करार के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।

23. यह प्रावधान, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को राजाबगान गोदी के आधुनिकीकरण, जलयानों के अधिग्रहण, जलयानों की मरम्मत आदि से संबंधित अपनी आयोजना स्कीमों के वित्तपोषण के लिए बजटीय सहायता है।

24. यह प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।